U;k;ky; Hkw izcU/k vf/kdkjh ,o inu jktLo vihy izkf/kdkjh chdkusj

Ekgkohj [kjkMh vkj0,0,l0

vihy la0 02@2016

1. श्रीमती उमादेवी बेवा संतोकदास जाति स्वामी निवासीनी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
2. मनसुखदास पुत्र संतोकदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
3. नेमदास पुत्र स्व0 भगवानदास जाति निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

vihykaVl

cuke

1. भंवरदास पुत्र नरसीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

2.ओमदास पुत्र नरसीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।

3.मु0 शांति पुत्री नरसीदास जाति स्वामी पत्नी गुलाबदास निवासीनी गुणवालियात तहसील लाडनू जिला नागौर ।

4.श्यामसुन्दर उम्र 7 पुत्र झूमरदास जरिये संरक्षक पिता

5.मुरलीधर उम्र 1 1/2 वर्ष पुत्र अन्नादास जाति स्वामी निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ ।

6.कु0 सुशीला उम्र 3 वर्ष पुत्री अन्नादास जाति स्वामी निवासी जैतासर तहसील सुजानगढ ।

7.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब चूरू ।

jLiksaM.Vl

8. लिछमणदास पुत्र संतोकदास जाति स्वामी निवासी ग्राम कल्याणसर तहसील सुजानगढ जिला चूरू ।
9. श्रीमती गोमती पुत्री संतोकदास पत्नी हरीदास जाति स्वामी निवासी ग्राम बिरमसर तहसील नोखा जिला बीकानेर ।

—गौण रेस्पोडेन्टान

mifLFkr%& 1. श्री बहादुरराम सुथार अधिवक्ता अपीलांट
2. ललीत गौतम अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 1 ता 2

U;k;ky; mi[k.M vf/kdkjh lqtkux< d fu.k; o fMØh fnukd 02-07-2015 d fo:} vihy vUrxZr /kkjk 223 jkt LFkku dk'rdkjh vf/kfu;e 1955

fu.k; दिनांकः—30.09.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार से है कि यह अपील उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 के विरूद्व न्यायालय हाजा में पेश हुई है । वादगत कृषि भूमि के ख0न0 202, 338, 357, 300, 116, व 341 कुल किता 6 कुल तादादी 97 बीघा रोही मौजा कल्याणसर तहसील सुजानगढ में स्थित है । जिसमें अपीलांट/वादी के द्वारा एक वाद घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का वाद सं0 240/2013 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दावा तलबी में जैरकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कल्याणसर में पत्रावली रख कर अदम तामील में दावा खारिज कर दिया जिसके विरूद्व यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है । राजस्व रेकार्ड एवं विधि विरूद्व होने के कारण यह अपील पेश की गयी है ।
2. अपीलांट् पक्ष के योग्य अभिभाषक ने अपील मीमो के तथ्यो को दोहराते हुए अपनी लिखित बहस में कथन किया है वादगत कृषि भूमि के ख0न0 202, 338, 357, 300, 116, व 341 कुल किता 6 कुल तादादी 97 बीघा रोही मौजा कल्याणसर तहसील सुजानगढ में स्थित है । स्व0 पदमदास पुत्र रामनारायण के वंशज ने पदमदास के चार लडके भगवानदास, गंगदास, त्रिलोकदास व मगनीदास पेदा हुऐ । मगनीदास अपने पिता के जीवन काल में फुलदास के दत्तक चले गये । भगवानदास के स्वर्गवास के बाद भगवानदास के जाईन्दा वारिस के नाम से राजस्व रेकार्ड में उनके चार पुत्रों के नाम से नामान्तरकरण नरसीदास, संतोकदास, बालदास व नेमदास के नाम से तत्कालीन हल्का पटवारी के द्वारा दर्ज कर तत्कालीन ग्राम पंचायत

कल्याणसर से तस्दीक करवाया गया । जिससे राजस्व रेकार्ड में स्व0 भगवानदास के वारिसों के नाम से खातेदारी अकित हो गयी परन्तु नरसीदास जो कि अपीलांट/वादीगण के संयुक्त परिवार में मुखिया था जो चतुर चालाक व्यक्ति था व संतोकदास, बालदास व नेमदास भोलेभाले व अनपड़ व्यक्ति थे जिन्हे राजस्व रेकार्ड का कोई अवलोकन नही किया ओर ना ही उसके बारे में उसको कोई जानकारी थी । नरसीदास के द्वारा भूप्रबन्ध अधिकारी व कर्मचारियों से मिलकर नाजायज रूप से भगवानदास के खातेदारी एवम मालीकाना अधिकार व खेतो की खातेदारी की भूमि वादीगण सं0 1 उमादेवी व 2 मनसुखदास व गौण प्रतिवादी सं0 6 व 7 के पिता की खातेदारी व प्रतिवादी सं0 3 नेमदास की राजस्व रेकार्ड की खातेदारी से अवैध रूप से नाम हटवाकर बाला बाला रूप से नरसीदास ने अपने नाम से राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अंकित करवा ली । जिस बाबत एक दावा घोषणात्मक रेकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.04.2004 को पेश किया गया । पत्रावली वास्ते तलबी में जैरकार थी उसी दौरान रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 4 श्रीमती केसर देवी का देहान्त हो गया पत्रावली केसर देवी वारिसान के कायम मुकाम व सम्मन तलबी में चल रही थी । पत्रावली दिनांक 02.07.2015 को कैम्प कोर्ट कल्याणसर में रखी जाकर दिनांक 02.07.2015 को ही प्रतिवादी सं0 4 केसर देवी के कायम मुकाम तलबी पेश नही करने पर दावा आदेश 9 नियम 5 में खारिज कर दिया जो कानूनन रूप से न्यायोचित नही है क्यों कि कैम्प में वोही दावे निर्णित किये जाते है जिनमें आपसी राजीनामा हो किन्तु उक्त वाद में किसी भी तरह का कोई राजीनामा पेश नही किया गया था अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा डिक्री करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करवाते हुऐ, साक्ष्य सबुत का अवसर देते हुए व यथा उचित तनकियात कायम कर किया जाना चाहिये था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने कैम्प में ले जाकर अबैट खारिज कर दिया जो न्यायोचित नही है । अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलांट की स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ जिला चुरू के द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 को अपास्त किया जावे ।

3. रेस्पो0 अभिभाषक ने अपीलांट की बहस को नकारते हुऐ अपनी बहस में कथन किया कि पदमदास पुत्र रामनारायणदास की जागीरी वक्त के समय कब्जा काश्त व खातेदारी की भूमि साबिक ख0न0 50, 118, 135, 158 व 169 कुल किता 5 कुल तादादी 247.14 बीघा दर्ज थी । पदमदास की मृत्यु के पश्चात उनके वारिसान भगवानदास, गंगदास, त्रिलोकदास व मगनदास के नाम से दर्ज हो गयी जो सामलात राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी । परन्तु मौके पर प्रतिवादी सं0 1 ता 4 के पिता स्व0 नरसीदास अलग से 97 बीघा भूमि पर काबिज थे व अन्य खातेदारान शेष भूमि पर काबिज थे । मगनदास फुलदास के गोद चले गये । वादगत कृषि भूमि पुश्तैनी नही थी मात्र रेकार्ड में गलत अंकन ही था । जो रेकार्ड दुरूस्ती की श्रेणी में नही आता है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा अबेट किया गया है वो कानूनी दृष्टि से न्यायोचित है क्यों कि रेस्पो0/प्रतिवादी सं0 4 केसर देवी के देहान्त के 4 वर्ष व्यतित हो जाने के पश्चात वादी के द्वारा कायम मुकाम प्रार्थना पत्र व वारिसान की सुची पेश

नही की गयी जो कि नियमानुसार 90 दिन के भीतर ही पेश की जानी अनिवार्य है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी आदेशिका में कायम मुकाम प्रार्थना पत्र व वारिसान की सुची प्रस्तुत करने के अनेको अवसर प्रदान किये किन्तु अपीलांट/वादी के द्वारा उनके सम्मन तामिल के बिना लोटने के बाद एक माह की अवधि में नये सम्मन के लिये आवेदन करने में असफल रहा जिस कारण वाद आदेश 9 नियम 5 में खारिज किया गया जो न्यायोचित है । अतः अपील अपीलांट की खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 को यथावत रखा जावे ।

4. हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया जिससे साबित होता है कि वादगत कृषि भूमि के ख0न0 202, 338, 357, 300, 116, व 341 कुल किता 6 कुल तादादी 97 बीघा रोही मौजा कल्याणसर तहसील सुजानगढ में स्थित है । जिसमें अपीलांट/वादी के द्वारा एक वाद घोषणात्मक, रेकार्ड दुरूस्ती व विभाजन का वाद सं0 240/2013 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दावा तलबी में जैरकार था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट कल्याणसर में पत्रावली रख कर अदम तामील में दावा खारिज कर दिया । राजस्व लोक अदालत में वो ही दावे निर्णित किये जाते है जिनमें सभी पक्षकारों में आपसी सहमति हो गयी हो किन्तु अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावे की पत्रावली में आपसी सहमति का कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नही है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावा अदम तामिल में खारिज किया गया है जिससे अपीलांट/वादी को न्याय नही मिला है । अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दावे को निर्णित करने से पूर्व सभी पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य सबुत का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर व नियमानुसार तनकियात कायम कर निर्णय पारित किया जाना चाहिये था ।
5. अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2015 को अपास्त किया जाता व प्रकरण प्रतिप्रेषित (रिमाण्ड) किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वो समस्त पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य सबुत का सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें । पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो । अधिनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली मय निर्णय प्रति के लोटाई जावे ।
6. निर्णय आज दिंनाक 30.09.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(egkohj [kjkM+h½
Hkw&izcU/k vf/kdkjh ,oa
insu jktLo vihy izkf/kdkjh
chdkusj